April 1969 respectively. The question of further expansion of the service is under consideration.

Appointment of Deputy Press Registrar

6718. SHRI SAYYAD ALI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a post of Deputy Press Registrar has been created in the Office of the Press Registrar; and

(b) if so, the manner in which it is proposed to fill up this post ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) (a) : Yes, Sir.

(b) Pending finalisation of the recruitment rules for the post in consultation with the U. P. S. C. the post has been filled in on an *ad-hoc* basis by appointment of a Central Information Service Officer.

Casual Labour in P. and T. Department

6719. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1500 to 1600 casual labourers are employed by the Posts and Telegraphs Department at Rs. 3 per day;

(b) whether it is also a fact that many of them are working for more than ten years on daily basis without any benefit of being made permanent; and

(c) if so, steps Government are taking to redress their grievances and make them permanent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) (a) to (c). The information is being collected from all units in the country and will be placed on the table of the Lok Sabha as soon as it is received and compiled.

वनस्पति घी बनाना

6720 **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वनस्पति घी बनाने के लिए किन-किन तेलों का प्रयोग किया जाता है और क्या यह सच है कि आजकल उपलब्ध वनस्पति घी और दस वर्ष पूर्व उपलब्ध वनस्पति घी के स्वाद में बहुत अन्तर है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आजकल अलसी के तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है और उसमें चर्बी भी मिलाई जाती है क्योंकि वनस्पति घी से दुर्गन्ध आती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वनस्पति घी की शुद्धता पर कोई विशेष नियन्त्रण रखने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). वनस्पति बनाने के लिये साधारणतया केवल तीन देसी तेलों अर्थात् मूंगफली, बिनौला, तिल तथा दो आयातित तेलों अर्थात् सोयाबीन तथा सूरजमुखी के तेलों के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। कानून के अनुसार वनस्पति स्वाद तथा सूंघने में प्रतिकर होना चाहिए; इस सम्बन्ध में आजकल बन रहे घी में तथा आज से दस वर्ष पूर्व निर्मित घी में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है।

(ग) सरकार पहले से ही वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश, 1947 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन देश में बनाये जाने वाले वनस्पति की किस्म, संग्रहीत करने तथा बेचने पर नियंत्रण रखती है। केन्द्रीय सरकार के निरीक्षक समय-समय पर कारखानों का अचानक दौरा करते हैं और